



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 3, 2011
(PHALGUNA 12, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd March, 2011

No. 5—HLA of 2011/11.—The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2011 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 5—HLA of 2011

THE HARYANA FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

*further to amend the Haryana Fiscal Responsibility and
Budget Management Act, 2005.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

2. For Sub-section (2) of Section 9 of the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 9 of Haryana Act 6 of 2005.

“(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall—

- (a) attain zero revenue deficit target from 2011-12 and maintain the same till 2014-15 ;
- (b) achieve fiscal deficit 3% of GSDP from 2010-11 and maintain the same till 2014-15;
- (c) ensure that the outstanding debt as percentage of GSDP shall be 22.4% in 2010-11, 22.6% in 2011-12, 22.7% in 2012-13, 22.8% in 2013-14 and 22.9% in 2014-15:

Provided that revenue deficit and fiscal deficit may exceed the limits specified under this section due to ground or grounds of unforeseen demands on the finances of the State Government arising out of internal disturbance or natural calamity or national security or such other exceptional grounds as the State Government may specify:

Provided further that a statement in respect of the ground or grounds specified in the first proviso shall be placed before the House of the State Legislature, as soon as may be, after such deficit amount exceeds the aforesaid targets;

- (d) bring out annual statement giving prospects for the State's economy and related fiscal strategy; and
- (e) bring out special reports along with the budget giving details of number of employees in Government, public sector and aided institutions and their related salaries.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in July, 2005 with an objective to eliminate revenue deficit and reduce the fiscal deficit within the prescribed limit. As per this Act, the revenue deficit was to be brought to Zero by 2008-09 and the limit of fiscal deficit was kept at maximum of 3% of Gross State Domestic Product (GSDP). The condition for bringing Revenue Deficit to Zero was relaxed for 2008-09 and 2009-10. With regard to Fiscal deficit, in view of Ministry of Finance, Government of India Guidelines for Debt Consolidation and Relief Facility (DCRF) the target was relaxed from 3% to 3.5% of GSDP for 2008-09 and from 3.5% to 4% of GSDP for 2009-10. As per Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 the limit of outstanding total debt including contingent liability was 28% of the estimated Gross State Domestic Product (GSDP) from 2005-06 to 2009-10. Now as per recommendations of the 13th Finance Commission and Ministry of Finance, Government of India Guidelines, the amendment in the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act is to be made as under:—

- (a) to attain Zero revenue deficit target from 2011-12 and maintain the same till 2014-15.
- (b) to achieve fiscal deficit 3% of GSDP from 2010-11 and maintain the same till 2014 -15.
- (c) ensure that the outstanding debt as percentage of GSDP shall be 22.4% in 2010-11, 22.6% in 2011-12, 22.7% in 2012-13, 22.8% in 2013-14 and 22.9% in 2014-15.

The objective of making further amendment in the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is to enable State for availing specific grants of Rs. 1000.00 crore recommended by 13th Finance Commission for the period 2011-12 to 2014-15 and interest relief amounting to Rs. 340.85 crore on NSSF loan contracted till 2006-07 and outstanding at the end of 2009-10, Besides, the loan from Government of India to State and administered by Ministries/ Departments other than Ministry of Finance, outstanding as at the end of 2009-10 are to be written off.

As per Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, condition for elimination of revenue deficit from 2008-09 to 2009-10 was remained relaxed. The fiscal deficit was to be contained 3.5% of GSDP during 2008-09 and 4% of GSDP by 2009-10. The limit of outstanding total debt including contingent liability was 28% of the estimated GSDP from 2005-06 to 2009-10. Now as per Ministry of Finance, Government of India Guidelines, the State Government has to attain zero revenue deficit target from 2011-12 and maintain the same till 2014-15, achieving fiscal deficit 3% of GSDP from 2010-11 and maintain the same till 2014-15 and the outstanding debt as percentage of GSDP shall be 22.4%

in 2010-11, 22.6% in 2011-12, 22.7% in 2012-13, 22.8% in 2013-14 and 22.9% in 2014-15. In view of these guidelines, further amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required:

CAPT. AJAY SINGH YADAV,
Finance Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 3rd March, 2011

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed enactment of Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2011 would qualify the State Government for availing specific grants of Rs. 1000.00 crore recommended by 13th Finance Commission for the period 2011-12 to 2014-15 and interest relief amounting to Rs. 340.85 crore on NSSF loan contracted till 2006-07 and outstanding at the end of 2009-10. Besides, the loan from Government of India to States and administered by Ministries/Departments other than Ministry of Finance, outstanding as at the end of 2009-10 are to be written off. Prior to this, the condition for bringing revenue deficit to zero for the financial year 2008-09 and 2009-10 was remain relaxed. It was mandatory to contain fiscal deficit 3.5% of Gross State Domestic Product (GSDP) during 2008-09 and 4% of GSDP during 2009-10. There was also a condition that within period of five years, beginning from the financial year 2005-06 and ending on 31st March 2010, the outstanding total debt including contingent liabilities do not exceed 28 per cent of estimated GSDP for that year. In view of recommendations of 13th Finance Commission and Ministry of Finance, Government of India Guidelines, the State Government has to attain zero revenue deficit target from 2011-12 and maintain the same till 2014-15, achieving fiscal deficit 3% of GSDP from 2010-11 and maintain the same till 2014-15 and the outstanding debt as percentage of GSDP shall be 22.4% in 2010-11, 22.6% in 2011-12, 22.7% in 2012-13, 22.8% in 2013-14 and 22.9% in 2014-15. Accordingly, the amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required. However, the exact amount in this regard cannot be anticipated at this stage.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 5 — एच० एल० ए०

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

अधिनियम, 2005 को आगे

संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2010, से लागू हुआ समझा जाएगा।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन।

2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार —

(क) 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा लक्ष्य प्राप्त करेगी तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखेगी;

(ख) 2010-11 से जी०एस०डी०पी० का 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा उपाजित करेगी तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखेगी;

(ग) सुनिश्चित करेगी कि जी०एस०डी०पी० की प्रतिशतता के रूप में बकाया ऋण 2010-11 में 22.4 प्रतिशत, 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.7 प्रतिशत, 2013-14 में 22.8 प्रतिशत तथा 2014-15 में 22.9 प्रतिशत होगा :

परन्तु राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, आंतरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा या ऐसे अन्य आपवादिक आधार जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे से उत्पन्न होने वाली राज्य सरकार की अप्रत्याशित वित्तीय मांग के आधार या आधारों के कारण इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के सम्बन्ध में विवरण, पूर्वोक्त लक्ष्यों से ऐसी घाटा राशि के अधिक होने के बाद, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा ;

(घ) राज्य की अर्थ-व्यवस्था तथा सम्बन्धित राजकोषीय योजना के लिये प्रत्याशा देते हुए वार्षिक विवरण प्रकट करेगी; तथा

(ङ) सरकार, पब्लिक सेक्टर तथा सहायता प्राप्त संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे सम्बन्धित वेतनों के ब्यौरे देते हुए बजट के साथ विशेष रिपोर्ट प्रकट करेगी ।”।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम जुलाई, 2005 में राजस्व घाटे का विलोपन करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में कम करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार, राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 तक शून्य रखा जाना था और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) की अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा तक रखना था। राजस्व घाटे को शून्य तक लाने की शर्त में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए छूट दी गई थी। राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी०सी०आर०एफ०) लक्ष्य के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग-दर्शनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008-09 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद को 3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 के लिए 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की छूट दी गई थी। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक बकाया कुल ऋण की सीमा जिसमें आकस्मिक दायित्व शामिल हैं, को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत थी। अब तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार के मार्ग-दर्शनों के अनुसार, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम में निम्न अनुसार संशोधन किया जाना है :-

- (क) वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा लक्ष्य प्राप्त करना तथा उसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना।
- (ख) वर्ष 2010-11 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटा उपाजित करना और उसे 2014-15 तक बनाये रखना।
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशतता के रूप में बकाया ऋण वर्ष 2010-11 में 22.4 प्रतिशत, 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.7 प्रतिशत, 2013-14 में 22.8 प्रतिशत और 2014-15 में 22.9 प्रतिशत रहे।

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आगामी संशोधन करने का उद्देश्य तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए सिफारिश की गई 1000.00 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान और राष्ट्रीय अल्प बचत कोष का ऋण जो वर्ष 2006-07 तक करार किए गए तथा वर्ष 2009-10 के अंत तक बकाया पर 340.85 करोड़ रुपये की ब्याज राहत राशि का लाभ उठाने के लिए राज्य समर्थ है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के अंत तक राज्य का भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय से अन्यथा मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित बकाया ऋण बट्टे खाते डाले जाने हैं।

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार वर्ष 2008-09 से वर्ष 2009-10 तक राजस्व घाटे के विलोपन के लिए शर्त में छूट रही थी। वर्ष 2008-09 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत और वर्ष 2009-10 में 4 प्रतिशत तक रखना था। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक बकाया कुल ऋण की सीमा जिसमें आकस्मिक दायित्व शामिल है, अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 28 प्रतिशत तक था। अब वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग-दर्शनों के अनुसार, राज्य सरकार

द्वारा राजस्व घाटे को वर्ष 2011-12 के दौरान शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करना और उसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना, राजकोषीय घाटे को वर्ष 2010-11 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत प्राप्त करना तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखना तथा बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष 2010-11 में 22.4 प्रतिशत, 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.7 प्रतिशत, 2013-14 में 22.8 प्रतिशत और 2014-15 में 22.9 प्रतिशत तक प्राप्त करना। इन मार्ग-दर्शनों के दृष्टिगत हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में आगामी संशोधन अपेक्षित है।

कैप्टन अजय सिंह यादव,
वित्त मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
3 मार्च, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 की प्रस्तावित अधिनियमिति से राज्य सरकार तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिये सिफारिश की गई 1000.00 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान का लाभ उठाने के लिए और राष्ट्रीय अल्प बजट कोष के ऋण जो वर्ष 2006-07 तक करार किए गए तथा वर्ष 2009-10 के अन्त तक बकाया थे पर 340.85 करोड़ रुपये की ब्याज राहत राशि प्राप्त करने के लिए योग्य होगी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के अंत तक राज्य का भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय से अन्यथा मंत्रालयों/विभागों से प्रशासित बकाया ऋण बट्टे खाते डालने हैं। इससे पूर्व, राजस्व घाटे को वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान शून्य रखने की शर्त में छूट रही थी। वर्ष 2008-09 के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत और वर्ष 2009-10 के दौरान 4 प्रतिशत रखना अनिवार्य था। एक शर्त यह भी थी कि वित्त वर्ष 2005-06 से शुरू तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के भीतर बकाया कुल ऋण आकस्मिक दायित्व सहित उस वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 28 प्रतिशत से अधिक न हो। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग-दर्शनों के दृष्टिगत राज्य सरकार को वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त करना और उसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना है, वर्ष 2010-11 से राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक लाना और उसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना तथा बकाया ऋण को राज्य सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष 2010-11 में 22.4 प्रतिशत, 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.7 प्रतिशत, 2013-14 में 22.8 प्रतिशत और 2014-15 में 22.9 प्रतिशत तक रखना होगा। तदनुसार, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में संशोधन अपेक्षित हैं। तथापि, इस संबंध में सही राशि इस स्तर पर प्रत्याशित नहीं की जा सकती।